न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1293/2006/सवाईमाधोपुर

किशन पुत्र श्री गेंदया जाति चमार, निवासी ग्राम खण्डीप, तह0 गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– रामजीलाल पुत्र गंगाराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम खण्डीप, तह0 गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर।
2– राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :
श्री जे0पी0 माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री अयूब खॉ, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय
दिनांकः– 4–9–2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 110/2004 शीर्षक रामजीलाल बनाम किशन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरुद्ध परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी के न्यायालय में एक वाद बाबत् दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादी को खसरा नम्बर 3 मिन में से रकबा 5 बीघा आवंटन किया गया था और इसका एकीकरण में तरमीम कर पृथक से नम्बर 3/103 डाल कर वादी को कब्जा सुपुर्द किया गया और तभी से वादी इस आराजी पर काबिज हो कर काश्त करता आ रहा है। खसरा नम्बर 3 मिन के हाल भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 121 रकबा 1.02 है0, 133 रकबा 0.38 है0 कायम किये गये हैं और इन्हें गलत प्रकार से सिवाय चक अंकित कर दिया

गया है। प्रतिवादी संख्या–1 के पुत्र किरोडी को खसरा नम्बर 64 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी और इसके नवीन खसरा नम्बरान 1720 रकबा 64 एअर, 1734 रकबा 40 एअर कायम किए गए हैं। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा ए0एस0ओ0 तहसीलदार, गंगापुर सिटी के यहां इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया और हाल खसरा नम्बर 121 रकबा 1.02 है0 व 133/1 में से 23 एअर भूमि को गलत प्रकार से अपने नाम दर्ज करवा लिया । वादी को उक्त गलत इन्द्राज का ज्ञान दिनांक 20–7–1996 को प्रतिवादी द्वारा धमकी देने से हुआ है। वादपत्र में वादी द्वारा अनुतोष चाहा कि दावा वादी डिक्री किया जा कर हाल खसरा नम्बर 121 रकबा 1.02 है0 व 133/1 में से 23 एअर भूमि को प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से हजफ कर वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाये और प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं स्वयं करें और न किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या–1 ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र के कथनों से असहमति व्यक्त की और अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी प्रतिवादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है, अतः दावा वादी खारिज किया जाये। उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी ने निर्णय दिनांक 23–09–2002 से वादी का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–2006 से अपील स्वीकार की। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने अपील–मीमों में अंकित अपील आधारों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 3 मिन में से रकबा 5 बीघा आवंटन किया गया था और इसका अपीलार्थी को आवंटन शुदा भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया था। खसरा नम्बर 3 मिन के हाल भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 121 रकबा 1.02 है0, 133 रकबा 0.38 है0 कायम किये गये हैं और इन्हें अभिलेख में सिवाय चक अंकित कर दिया गया। प्रतिवादी के पक्ष में अविधिक रुप से हाल खसरा नम्बर 121 रकबा 1.02 है0 व 133/1 में से 23 एअर भूमि को दर्ज किया गया है। वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद दायर किया गया था उसे विधिक रुप से डिक्री किया जा कर प्रश्नगत खसरा नम्बर 121 रकबा 1.02 है0 व 133 रकबा 23 एअर को प्रतिवादी के नाम से निरस्त कर वादी के पक्ष में खातेदारी प्रदान की गई थी और इस निर्णय को निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने गम्भीर अनियमितता की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी को भू प्रबन्ध कार्यवाही में क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुये सिवाय चक दर्ज किया गया था और इसका लाभ लेने के उद्देश्य से रैस्पो0 ने पटवारी हल्का की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार से खातेदारी प्राप्त कर ली जब कि तहसीलदार को खातेदारी प्रदान करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विवेचन नहीं किया है और इस प्रकार से आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायलाय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि अपीलार्थी का

आवंटन के समय से प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त चलता आ रहा है और रैस्पो0 का प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार का स्वत्व नहीं रहा है बल्कि उनके द्वारा फर्जकारी करके अविधिक रुप से अपने नाम के अंकन राजस्व रिकार्ड में कराये गये हैं। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में सम्बन्धित पटवारी व तहसीलदार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के आदेश भी अपने निर्णय में दिए गए हैं। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया जाये।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि साबिक खसरा नम्बर 3/103 रकबा 5 बीघा नवीन खसरा नम्बर 121/1.02 है0 तथा 133/0.38 है0 रैस्पो0 के कब्जे काश्त की भूमि रही है। पुराने कब्जे के आधार पर प्रश्नगत आराजी को रैस्पो0 के पक्ष में विधिवत रुप से नियमन किया गया था। वादीगण का दावा दायरी के रोज किसी प्रकार का कब्जा प्रश्नगत आराजी पर नहीं रहा है। जो मौखिक साक्ष्य हमने पेश की हैं वे भी आराजी पर हमारे कब्जे काश्त के बयान करते हैं। वादी का कथन रहा है कि उक्त आराजी उसके पक्ष में आवंटन की गई थी किन्तु वादी द्वारा जो नामांतरकरण पेश किया गया है उसमें आराजी उसकी गैर खातेदारी में ही अंकित है, उसके पक्ष में खातेदारी दी गई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। परीक्षण न्यायालय ने अविधिक रुप से वादी के वाद को डिक्री किया था और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिवत रुप से विवेचन करते हुये आलोच्य निर्णय पारित किया है। इस निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी द्वारा वादपत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया था कि वादी को खसरा नम्बर 3 मिन में से रकबा 5 बीघा आवंटन किया गया था और खसरा नम्बर 3 मिन के हाल भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 121 रकबा 1.02 है0, 133 रकबा 0.38 है0 कायम किये गये हैं। प्रतिवादी के पक्ष में हाल खसरा नम्बर 121 रकबा 1.02 है0 व 133/1 में से 23 एअर भूमि को गलत प्रकार से दर्ज किया गया है। उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय में ये अंकित किया है कि “स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 121 व 133 की खातेदारी प्रतिवादी रामजीलाल को दिलाने में स्वयं प्रतिवादी, तत्कालीन तहसीलदार–गंगापुर सिटी, तत्कालीन प0ह0 खण्डीप, तत्तकालीन नकल नवीन ने फर्जी कार्यवाही की है। प्रार्थी रामजीलाल का प्रार्थना पत्र कहीं दर्ज नहीं हुआ है, उस पर कोई तिथि अंकित नहीं की गई है, पटवारी की रिपोर्ट में कोई तारीख दर्ज नहीं है एवं तहसीलदार के आदेश पर भी कोई तारीख अंकित नहीं की गई है।” उक्त अभिमत के साथ परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 23–9–2002 को वादी के वाद को डिक्री किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ

अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य आदेश तहसीलदार के उस आदेश के आधार पर आधारित किया है जिसके तहत रैस्पो0 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड को अंकन करने के आदेश दिए गए हैं। जब परीक्षण न्यायालय के स्तर पर तहसीलदार के इस आदेश पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया था तो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर पर अपेक्षित था कि वे इस बिन्दु पर विस्तार से विवेचन करते कि इस आदेश की वैद्यता क्या रही है? क्या तहसीलदार को किसी आवेदन पत्र के आधार पर खातेदारी प्रदान करने के अधिकार प्राप्त हैं? किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। प्रकरण में परीक्षण से सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के स्तर पर प्रकरण में दादरसी सहित कुल 4 तनकियात कायम की गई थीं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य आदेश के द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पलटते हुये अपील को स्वीकार किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर पर जब निर्णय को पलटा गया है तो उनके स्तर पर यह अपेक्षित था कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के सुसंगत प्रावधानों की अनुपालना में तनकीवार विवेचन करते, किन्तु उनके निर्णय में ऐसा किया जाना नहीं पाया है।

8– अतः प्रकरण में निहित तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील आंशिक स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 110/2004 शीर्षक रामजीलाल बनाम किशन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–2006 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के सुसंगत प्रावधानों की अनुपालना में तनकीवार विवेचन करते हुए नियमानुकूल निर्णय पारित करें।

9– इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की पालनार्थ अविलंब प्रेषित किया जावे ।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य